कार्यालय
महिला प्रशिक्षण शिक्षा परिषद,
[illegible]

[illegible] – महिला/परिषद [illegible]/2020/[illegible] [illegible] दिनांक: [illegible]-[illegible]-2020

— कार्यालय ज्ञाप —

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]

Director
Shiksha Kendra College of Physical Education
[illegible]

Generated with CamScanner

[illegible]

[illegible]

[illegible] 2021-2022

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 2056 SHREE KRISHNA COLLEGE OF PHARMACY GATA NO-54 VILL-AMRADHAGAR POST-SLISHPUR, NAFALAPUR-KASRAJA ROAD S.TAPUR-251115

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

कार्यालय,

प्रति, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- पालिप/परिषद सम्बद्धता/2022/9755

लखनऊ: दिनांक: 10/10/2022

:-कार्यालय ज्ञाप-:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु दिनांकित मानदेय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 10/10/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु प्रस्तावित नई संस्थाओं की सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2006-SHREE KRISHNA COLLEGE OF PHARMACY

क्र0सं0	पाठ्यक्रम का नाम	एआईसीटीई/ पीसीआई द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एआईसीटीई/पीसीआई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय डी0 फार्मेसी हेतु रू0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश पालनीय होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। शुल्क निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु शुल्क का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो शुल्क की नवीनतम दरें लागू होंगी।

Principal
Shree Krishna College of Pharmacy
Lucknow-Sitapur

Generated with CamScanner